

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 1186 / एफ-2015-04-01752/2016/स्था./चार

रायपुर, दिनांक 19/10/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़।

विषय:- राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना

—00—

विषयांतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक CPAO/Tech/Amdt-Sch-Book/2014-15 दिनांक 10.11.2014 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनर्स को पेंशन भुगतान की योजना में किये गये संशोधन को प्रदेश के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए भी लागू किए जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में Aadhar based Biometric Authentication के आधार पर ऑनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव होगा। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए ही लागू होगी, जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध है।

2. पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा "बायोमेट्रिक ऑर्थेटिकेशन" (Biometric Authentication) तथा डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी : -

(अ) डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट (Generate) करने हेतु पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा वेबसाईट [www.jeevanpramaan.gov.in](http://www.jeevanpramaan.gov.in) से संबंधित एप्लीकेशन एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर पर डाउनलोड की जा सकेगी। पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, फिंगर प्रिंट स्कैनर/आईरिस स्कैनर (Finger Print Scanner/Iris Scanner) प्राप्त कर एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर के यूएसबी (USB) पर प्लग-इन (plug-in) कर स्वयं का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा मोबाइल दूरभाष नंबर दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत कर रियल टाईम (Real Time) में "बायोमेट्रिक ऑर्थेटिकेशन" स्वयं कर सकेंगे।

(ब) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स वेबसाईट पर जाकर लोकेट सेन्टर (Locate Center) के माध्यम से अपने निकटतम सीएससी (CSC), पीईसी (PEC), लोक सेवा केन्द्र या बैंक शाखा जहाँ स्कैनर की सुविधा उपलब्ध हो, से भी बायोमेट्रिक ऑर्थेटिकेशन कर सकेंगे।

3. डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाइल दूरभाष नंबर पर sms द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी। इसके आधार पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र [www.jeevanpramaan.gov.in](http://www.jeevanpramaan.gov.in) वेबसाईट से प्राप्त कर सकेंगे।

4. यदि कोई पेंशनर/परिवार पेंशनर सिस्टम में पैरा 2 अनुसार पूर्व से ही पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष के नवम्बर माह में डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) "बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन" करने पर संबंधित बैंक के रेकार्ड में स्वयंमेव अपडेट हो जायेगा।

5. पेंशनर/परिवार पेंशनर संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) के संबंध में निम्नलिखित विधियों से अवगत करा सकेंगे (बैंक शाखा भी संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर की डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे) :-

(अ) बैंक शाखायें [www.jeevanpramaan.gov.in](http://www.jeevanpramaan.gov.in) पर लॉगिन कर पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवन प्रमाण-पत्र को उसके द्वारा दिए गए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे।

(ब) कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बैंकों द्वारा डिजीटल लाईफ रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी से स्वयंमेव संबंधित पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) प्राप्त कर, पेंशनर/परिवार पेंशन की जीवित होने की स्थिति को अद्यतन किया जा सकेगा।


(स) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) इमेल के माध्यम से अथवा sms के माध्यम से बैंक शाखा को भेज सकेंगे। बैंक शाखा प्राप्त लिंक के द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) डाउनलोड कर सकेगी।

6. ऐसे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जो कि [www.jeevanpramaan.gov.in](http://www.jeevanpramaan.gov.in) में पंजीकृत हैं, उन्हें sms के द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित तिथि को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्मरण कराया जाएगा।

7. उक्त नवीन व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किए जाने से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाईट [www.jeevanpramaan.gov.in](http://www.jeevanpramaan.gov.in) से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

8. छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-I के सहायक नियम 363 तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना में संशोधन पृथक से किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
19/10/2016  
(डॉ. ए.के. सिंह)  
उप सचिव

पृष्ठा.क्र. 1187/एफ-2015-04-01752/2016/स्था./चार  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 19/10/2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छोगो) पिन कोड- 495220

5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
10. मुख्य लेखा नियंत्रक, भारत शासन, नई दिल्ली
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
12. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
15. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पेंशनरों के लिए डिजिटल प्रमाण—पत्र जारी किए जाने हेतु पीईसी (परमानेट एनरोलमेंट सेंटर) के माध्यम से बायोमेंट्रिक ऑर्थेंटिकेशन किए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें
16. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेखागार/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, नया रायपुर
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ/संगठन
20. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
21. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
22. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
23. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
24. राज्य सूचना—विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. महानदी भवन, नया रायपुर को आवश्यक कार्बवाई हेतु
25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटिक प्रोमोशन सोसाईटी (चिप्स), रायपुर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पेंशनरों के लिए डिजिटल प्रमाण—पत्र जारी किए जाने हेतु सीएससी एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से बायोमेंट्रिक ऑर्थेंटिकेशन किए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें
26. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी/पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
27. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेण्ड एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ड्स, सी-7, बान्द्रा—कुरुला काम्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई— 400051
28. समन्वय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर
29. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेनदेन लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं. 6, मैदा मिल के सामने, भोपाल
30. उप महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, शांति नगर, रायपुर
31. सहायक महाप्रबंधक, आंध्रा बैंक, गंज थाना के सामने, फाफाडीह, रायपुर
32. उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, जीवन बीमा मार्ग, पण्डरी, रायपुर
33. उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, तात्यापारा चौक, रायपुर
34. क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, चांवला कांपलेक्स, साई नगर, देवेन्द्र नगर, रायपुर
35. उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, ए.सी.ई. ग्लाबल, होटल छत्तीसगढ़ के पास, तेलीबांधा, रायपुर
36. उप महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ब्लॉक सी, बाम्बे मार्केट, रायपुर

34. उप महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर-11, प्रथम तल एम.पी. नगर जोन-2, भोपाल
35. उप महाप्रबंधक, देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय एल.आई.सी. ऑफिस के पीछे, पण्डरी, रायपुर
36. उप महाप्रबंधक, इण्डन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय 228 प्रथम तल, मेजर शॉपिंग सेंटर, भोपाल
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, इण्डन ओवरसीज बैंक, एल.आई.सी. इच्चेशमेंट बिल्डिंग फंस-2, जीवन बीमा मार्ग, पण्डरी, रायपुर
38. क्षेत्रीय मैनेजर, ऑरियेंटल बैंक ऑफ कामर्स, क्षेत्रीय बैंक, प्रगति भवन, इन्दिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल- 462042
39. उप महाप्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध, जोनल ऑफिस, द्वितीय तल, नयापुरा, एस.बी.आई. कोलार रोड, अकबरपुर, भोपाल- 462042
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मोबिनुदिदन बिल्डिंग, कचहरी चौक, रायपुर
41. उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, क्षेत्रीय ऑफिस-1, ईकाई क्र. 603 और 604 छठवां तल, विंग-बी, कोहिनूर सीटी, कॉमर्सियल-1, करोल रोड, एल.बी.एस. मार्ग के सामने पश्चिम कुर्ला, मुम्बई- 400070
42. उप महाप्रबंधक, यूको बैंक जोनल ऑफिस, छत्तीसगढ़ नेत्र अस्पताल कैंपस तेलीबांधा, रायपुर
43. उप महाप्रबंधक, सेडीकेट बैंक, जोनल ऑफिस 90 कनाल रोड, रामदासपेठ, नागपुर
44. उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रीजनल ऑफिस, एल.आई.सी. भवन तृतीय तल, पण्डरी, रायपुर
45. उप महाप्रबंधक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जी-7, तृतीय तल, जीत टॉवर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी.ई.रोड, रायपुर
46. वाईस प्रेसिडेंट, एक्सीस बैंक लिमिटेड, सिमरन टावर द्वितीय तल, एल.आई.सी. भवन के सामने, पण्डरी, रायपुर
47. क्षेत्रीय प्रबंधक, विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय 9, ग्रेट नाग रोड, दैनिक भास्कर के पास, नागपुर
48. सर्कल हेड एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सर्कल ऑफिस, प्रथम तल, साई मंदिर के पास, ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने, गेट क्र. 2, देवेन्द्र नगर, रायपुर
49. क्षेत्रीय प्रमुख, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, राजभवन के पीछे, द्वितीय तल गोरे परिसर, सिविल लाईन, रायपुर
50. उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, आई.डी.बी.आई. लिमिटेड, देव टॉवर, प्रथम तल, हॉली हर्ट स्कूल के पास, सिविल लाईन, रायपुर
51. सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-3, कोलकाता, 32ए, ब्राबोर्न रोड, प्रथम तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001
52. जोनल प्रबंधक, देना बैंक, जोनल कार्यालय, एल.आई.सी. इनवेसमेंट भवन-2, एल.आई.सी. डिवीजन ऑफिस के पीछे, पण्डरी, रायपुर
53. शाखा प्रमुख, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्र, भूतल, डी.बी. सिटी कोर्पोरेट पार्क, रजबंधा मैदान, अम्बेडकर अस्पताल के पास, जी.ई. रोड, रायपुर
54. शाखा प्रमुख, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शहीद स्मारक भवन, जी.ई. रोड, रायपुर
55. उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रीजलन बिजनिस ऑफिस, क्षेत्र-1, प्रशासनिक ऑफिस भवन, बैरन बाजार, रायपुर- 492001
56. सहायक प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कचहरी चौक, रायपुर  
—उपरोक्त क्र. 29 से 56 की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी संबंधित बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति को इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र हेतु बॉयोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधाएं पेशनरों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
57. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर
58. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद
59. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
60. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001

61. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
62. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
63. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
64. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
65. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलुरु 560001
66. वित्त सचिव, ओडिशा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001
67. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047
68. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
69. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
70. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 302001
71. वित्त सचिव, अरुणाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, ईटानगर
72. वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, आईजोल
73. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
74. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
75. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
76. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
77. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
78. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा
79. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
80. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय, पणजी, गोवा 403101
81. वित्त सचिव, सिकिंग शासन, मंत्रालय, गंगटोक
82. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून
83. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
84. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, हैदराबाद
85. महालेखाकार (लेखा / हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
86. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजकोट, गुजरात 360001
87. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आंध्रप्रदेश हैदराबाद 500463
88. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आंध्रप्रदेश हैदराबाद 500463
89. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
90. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
91. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
92. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002
93. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बॉक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
94. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
95. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
96. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020
97. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
98. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलूरु 560002
99. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिशा, भुवनेश्वर 751001
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
101. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
102. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003

103. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001  
104. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001  
105. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001  
106. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून  
107. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विलिंग कोलकाता 700001  
108. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001  
109. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001  
110. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001  
111. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिविकम लाकार भवन गंगटोक  
112. सहायक मिलीट्रि एटेंची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल-1, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के माध्यम से  
113. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी, गोवा 403101  
114. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
115. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली  
116. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय संचिवालय, नई दिल्ली  
117. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माचना कालोनी 6 नंबर स्टाप के पास शिवाली नगर, भोपाल

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित



(अतुल कुलश्रेष्ठ)  
शोध अधिकारी